



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062024-254646
CG-DL-E-11062024-254646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2128]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2024/ज्येष्ठ 21, 1946

No. 2128]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2024/JYAISHTHA 21, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2024

का. आ. 2230(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि नाभिकीय ईंधन और घटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा परमाणु उर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 28 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हैं;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5157(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2023 द्वारा, तारीख 28 दिसंबर, 2023 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि और छह महीने की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोकउपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है -:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (सातवां आदेश) 2024 है।

(2) यह 28 जून, 2024 से प्रवृत्त होगा।

2. केंद्रीय सरकार, नाभिकीय ईंधन और घटक भारी जल और संबद्ध रसायन तथा परमाणु उर्जा का विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई सेवाओं को 28 जून, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस- 11017/3/97-आईआर (पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2024.

S. O. 2230(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has declared the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 28th December, 2023 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5157 (E), dated the 4th December, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial establishments for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

1. Short title and Commencement. - (1) This order may be called the Public Utility Services (Seventh Order) 2024.

(2) It shall come into force on the 28th day of June, 2024.

2. The Central Government hereby declares the services engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from 28th June, 2024.

[F.No. S-11017/3/ 97- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.